

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2019 आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

- | | | |
|---|------|--|
| 1. धर्माचन्द पुत्र गोपीलाल गुर्जर निवासी-
रामपुरिया तहसील आसीन्द | बनाम | 1. श्रीमती जस्सु देवी पत्नी भोपा गुर्जर
निवासी-रामपुरिया तहसील आसीन्द |
| 2. भैरूलाल पिता चतुर्भुज गुर्जर निवासी
रामपुरिया तहसील आसीन्द जिला
भीलवाड़ा | | 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
आसीन्द जिला भीलवाड़ा |

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा -14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत
आवंटन आदेश दिनांक 27/11/2004 ग्राम रामपुरिया की आराजी संख्या 799 का आवंटन
निरस्तीकरण बाबत।

उपस्थित -


1. श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
2. श्री भैरू लाल बापना अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 01 की ओर से



निर्णय

दिनांक 16.10.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 ने तहसीलदार आसीन्द के समक्ष ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दडावट तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 799 में से 0.54 हैक्टर भूमि आवंटन कराने का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 01 एक को दिनांक 27/11/2004 को ग्राम रामपुरिया की आराजी नम्बर 799 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि आवंटन का आदेश प्रदान किया। जिस पर यह भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम से गैर खातेदारी अधिकार से दर्ज कर नये आराजी संख्या 1472/799 कायम किये गये। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी भूमि विपक्षी संख्या 01 को आवंटित कर दी गई। इस कारण आवंटन निरस्त होने योग्य है। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से भूमि आवंटन योग्य नहीं होते हुए भी समिति द्वारा विपक्षी संख्या 01 का आवंटन कर दिया गया, जो आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटन फार्म में विपक्षी संख्या 01 ने कोई तारीख अंकित नहीं की है। आवंटन फार्म को पूरा नहीं भरकर आवंटन सलाहकार समिति से विपक्षी संख्या 01 ने तथ्य छुपाये है। इस कारण


अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट की आराजी नं. 799 में रकबा 0.54 है. भूमि का आवंटन विधिवत तौर से किया गया था जिसके बटा नं. 1472/799 रकबा 0.54 है. कायम किये गये। आवंटन के पश्चात् मुझे उक्त जमीन पैमूद की जाकर कब्जा दिया गया था। मुझ विपक्षीया को हुए उक्त आवंटन से प्रार्थी किसी भी तरह से व्यथित पक्षकार नहीं जिससे उसको यह प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं होने से उसके द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है। ग्राम रामपुरिया का श्मशान विपक्षीया को आवंटित भूमि से बहुत दूर हैं। मैं विपक्षीया भूमिहीन गरीब काश्तकार हूँ, इसी वजह से पूरी जांच पड़ताल करके आवंटन सलाहकार समिति ने मुझ विपक्षीया को भूमि आवंटित की थी। उक्त आवंटन से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन बाबत विधिवत तौर से उद्घोषणा करायी थी जिसमें किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई थी। आवंटन सलाहकार समिति ने मेरी पात्रता को ध्यान में रखकर ही मुझे विधिवत तौर से भूमि का आवंटन किया है जिसको करीब 16 वर्ष हो गये है। जिससे आवंटन हुए 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने से नियमानुसार मुझ विपक्षी को स्वतः ही इस भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझ विपक्षीया को किया गया उक्त आवंटन किसी भी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है। मुझ विपक्षीया दूदी ने खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिये सहीतौर से प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी ने करीब 16 वर्ष पश्चात् नियम 14(4) का यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जो बेरुनमियाद होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा विधिक दृष्टान्त 2016 (1) आर आर टी 82, 2016 (1) आर आर टी 340, 2016 (1) आर आर टी 559, 2006 (2) आर आर टी 1171 प्रस्तुत किये।



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली परीक्षण उपरान्त पाया गया कि आवंटी दूदी को ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट की आराजी नं. 799 में रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27-11-2004 को जरिये लगान, पट्टा फीस एवं नजराना राशि जमा कर, आवंटन किया गया। बाद आवंटन दिनांक 03.12.2004 को कब्जा सुपुर्द किया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अध्ययन करने पर आवंटित भूमि मिसरिप्रजेन्टेशन एवं फ़ॉड श्रेणी में नहीं आती हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने विधिक रूप से आवंटन किया है। आवंटन पश्चात् विपक्षी संख्या 01 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाना पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता है।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2006 (2) आर आर टी 1171

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रणजीत बनाम राजबाला व अन्य अनुसार आवंटित भूमि राजकीय सिवाय चक के रूप में दर्ज थी, भूमि न तो चारागाह थी, न सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की थी। प्रार्थी आवंटित भूमि पर अतिक्रमी था, जिसे आवंटन को चुनौती देने में अतिक्रमिता को श्रवणाधिकारिता नहीं है। (Tresspasser has no right to challenge the order of allotment). अतिक्रमी के कब्जे की भूमि रिक्त भूमि है और आवंटन हेतु उपलब्ध है।


उपरोक्त विवचेन अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 आवंटन के 16 वर्ष व्यतीत हो जाने से एवं अतिक्रमी को आवंटित भूमि को अतिक्रमण के आधार पर चुनौती देने की श्रवणाधिकारिता नहीं होने से तथा आवंटित भूमि मिसरिप्रजेन्टेशन एवं फ़ॉड की श्रेणी से मुक्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी आसीन्द एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ब्रह्म लाल जाट)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा